संख्या:96/2019/2092 ई-2/तेरह-2019-47/2003

प्रेषक,

आलोक कुमार द्विवेदी
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

आबकारी आयुक्त,
उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।

आबकारी अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 03 दिसम्बर, 2019

विषय: मे. असमौली आसवनी, जनपद सम्भल की अधिष्ठापित क्षमता 495 लाख ली. वार्षिक के अन्तर्गत 50 लाख ली. प्रतिवर्ष पेय मदिरा उत्पादन किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

.....

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी-66/दो-प्रा.डी.-92, दिनांक 11-10-2019 तथा इस सम्बन्ध में अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में गठित समिति की बैठक दिनांक 06-11-2019 में लिये गये निर्णय से सम्बन्धित निर्गत कार्यवृत्त पत्र संख्या-2258 ई-2/तेरह-2019-69/2011, दिनांक 18-11-2019 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव एवं समिति द्वारा की गई संस्तुति पर सम्यक विचारोपरान्त राज्य के औद्योगिक एवं राजस्वहित में मे. असमौली आसवनी, सम्भल को आसवनी की अधिष्ठापित क्षमता 495 लाख ली. वार्षिक के अन्तर्गत 50 लाख लीटर तक प्रतिवर्ष पेय मदिरा का निर्माण किये जाने की अनुमति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि आसवनी द्वारा उत्तर प्रदेश आबकारी (आसवनी की स्थापना) (तेरहवां संशोधन) नियमावली, 2019 के संगत नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

कृपया तदनुसार अग्रतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(आलोक कुमार द्विवेदी)
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in